

पर्यावरण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छटा तल, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

फा. सं०: 266/डीसीएफ(पी व एम)/वी एस/एस क्यू/नं 148/2020-21/1651-दिनांक : 29/07/21
1654

सेवा में,

श्रीमान उपसचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054

विषय : विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 148 दिनांक 30.07.2021 के लिए

महोदय/महोदया,

उपरोक्त उद्धृत विषयानुसार संदर्भ ई मेल दिनांक 22.07.2021, इस कार्यालय से संबंधित एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

यह विषय माननीय मंत्री (पर्यावरण) / सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमोदित/स्वीकृत है।

भवदीय,



(कौशल किशोर)

उप सचिव, पर्यावरण विभाग

संलग्न:- उत्तर की प्रतियां (संख्या 100)

फा. सं०: 266/डीसीएफ(पी व एम)/वी एस/एस क्यू/नं 148/2020-21/1651-दिनांक : 29/07/21
1654

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव, माननीय मंत्री (पर्यावरण विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, सचिव (पर्यावरण एवं वन्य विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली - 110054 (संलग्न 150 प्रश्न-उत्तर की प्रतियां)।



(कौशल किशोर)

उप सचिव, पर्यावरण विभाग

Kaushal Kishore
Dy. Secretary (Env)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Sect., Delhi

पर्यावरण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

'सी' विंग, छठा तल, दिल्ली सचिवालय, आई पी स्टेट, नईदिल्ली-110002

अतारांकित प्रश्न संख्या : 148

दिनांक : 30 जुलाई, 2021

प्रश्नकर्ता का नाम : श्रीमती बंदना कुमारी

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि एमसीडी, डीडीए और पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर पेड़ों का रख-रखाव ठीक से न होने के कारण स्थिति अत्यंत दयनीय और खतरनाक बनी हुई है;	यह सही नहीं है। इन सभी विभागों द्वारा सड़क किनारे वृक्षों की अच्छी तरह देख-भाल और रख-रखाव किया जा रहा है।
ख	पेड़ों के संरक्षण व रख-रखाव को लेकर इन तीनों संस्थाओं की क्या कार्यनीति है;	दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) वृक्षों का समुचित संरक्षण और रख-रखाव किया जा रहा है। आवश्यकतानुसार पेड़ों की कटाई-छंटाई और सिंचाई नियमित रूप से की जा रही है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) पेड़ों के संरक्षण और समुचित रख-रखाव के लिए लोक निर्माण विभाग के बागवानी विभाग द्वारा नियमित रूप से खाद-पानी देने, कटाई-छंटाई और किसी प्रकार के रोग से बचाने की नीति अपनाई जाती है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम • पूर्वी दिल्ली नगर निगम का बागवानी विभाग पेड़ों के संरक्षण और देख-भाल के लिए नई दिल्ली वन अधिनियम 1994 के तहत नियमों का अनुपालन कर रहा है। • माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार पेड़ों के चारों ओर की कंक्रीट हटाई गई है और यदि आसपास कंक्रीट पाई जाती है तो उसे भी हटा दिया जाता है। • पेड़ों के बड़े हो जाने पर उनकी सुरक्षा के लिए लगा ट्री-गार्ड हटा दिया जाता है तथा कील और अन्य अनधिकृत चीजें भी हटाई जाती हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम उत्तरी नगर-निगम के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पेड़ों का संरक्षण और देख-भाल विभागों के संसाधनों का उपयोग करते हुए बागवानी विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है।

Kaushal Kishore

Dy. Secretary (Env)

Govt. of NCT of Delhi

Delhi Sectt., Delhi

		दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पेड़ों के संरक्षण और रख-रखाव के लिए नगर-निगम आवश्यकता अनुसार सिंचाई का प्रबंध करता है और जहां आवश्यक हो वृक्षों की सुरक्षा के लिए ट्री-गार्ड की व्यवस्था की जाती है।
ग	पिछले पांच सालों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर इन तीनों संस्थाओं द्वारा क्या कार्य किए गए हैं ;	दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) पिछले पांच वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित कार्य किए गए हैं- दिल्ली में बाढ़ की आशंका वाले समतल क्षेत्र के सुधार के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। इसके तहत पेड़ और पौधे लगाए जा रहे हैं और जलाशय बनाए जा रहे हैं। यमुना नदी के किनारे से संबंधित दस परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं का काम पूरा हो गया है और बाकी का जारी है। डीडीए अपने पार्क और पौध रोपण कार्यों का वार्षिक लक्ष्य प्रणालीबद्ध ढंग से नियोजित कर रहा है। इसके बारे में नियमित रूप से दिल्ली वन विभाग को सूचित किया जाता है। डीडीए पार्कों से निकलने वाले हरित कचरे से वर्मी कम्पोस्ट बनाया जाता है ताकि प्रदूषण से पर्यावरण की रक्षा हो सके। बनाई गई खाद का उपयोग पार्कों में किया जाता है। डीडीए की योजना के अनुसार बोरवैल से पानी का उपभोग कम करने के लिए अवजल उपचार संयंत्रों (STPs) के पानी के पुनः उपयोग की योजना बनाई जा रही है। 94 पार्कों में यह प्रयोग सफलता पूर्वक किया गया है। डीडीए के लगभग 100 पार्क विकेन्द्रीकृत अवजल उपचार संयंत्र (STP) के गंदे पानी का पुनः उपयोग य जिससे जल संरक्षण का लक्ष्य पूरा होगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) लोक निर्माण विभाग द्वारा पेड़ों के रख-रखाव के तहत बागवानी गतिविधियां जैसे-खाद-पानी देना, समय से कटाई-छंटाई करना तथा रोगों और कीटों से संरक्षण जैसी गतिविधियां आती हैं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम 1. आईएआरआई पूसा द्वारा वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक तीन वर्षों की लेखा परीक्षा की गई। 2. पुराने हो चुके और दीमक के कारण कमजोर हो चुके पेड़ों पर दवा छिड़की गई और उन्हें काट-छांट कर उपचारित किया गया। 3. वृक्षों के रख-रखाव के लिए ट्री-एंबुलेंस कार्ययोजना विचाराधीन है।


Kaushal Kishore
 Dy. Secretary (Env)
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Sectt., Delhi

		4. वृक्षों की देखभाल के लिए नियमित रूप से सिंचाई, कटाई-छंटाई और सूखे पेड़ों को हटाकर नए पौधे लगाने का काम किया गया। 5. बागवानी विभाग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले पांच वर्ष में नगर-निगम स्थलों पर 1,24,980 पौधे लगाए गए हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पिछले पांच वर्ष में नगर निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 4,03,865 पेड़ और 9,87,086 पौधे लगाए गए हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम पिछले पांच वर्ष में 170315 पेड़ और 316461 झाड़ियां लगाई गई हैं। 07 लघु वन सृजित किए गए हैं।
घ	क्या यह सत्य है कि ठीक से रखरखाव न होने का कारण पेड़ों के गिरने से जान-माल की भारी क्षति होती है ; और	दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार पेड़ों के गिरने से जान-माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
इ	यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदारी तय करते हेतु क्या सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है, पूर्ण विवरण दें ?	उपरोक्त घ के अनुरूप


Kaushal Kishore
 Dy. Secretary (Env)
 Govt. of NCT of Delhi
 Delhi Sectt., Delhi